मौके की स्थिति को लेकर विवाद उत्पन्न होनें के साथ साथ प्रकरण में अनावश्यक जटिलता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है, अतः वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में ताफैसला वाद तक अप्रार्थीगण स्वयं व न ही अपने पारिवारिक सदस्य एवं हाली एजेन्ट द्वारा किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करने हेतु जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवचेन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद सरहद मौजा– रास–1, पटवार हल्का –रास–1, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र– रास, तहसील– जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 864 रकबा 27–08 हैक्टयर किस्म बारानी अव्वल में प्रार्थीगण काश्त या काश्त मुतालिक कार्य करवावे तो न ही अप्रार्थीगण स्वयं व न ही अपने पारिवारिक सदस्य एवं हाली एजेन्ट द्वारा किसी प्रकार की दखलन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें। वर्तमान मौका स्थिति में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 05/05/2025 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

(रविप्रकाश RAS)
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला–ब्यावर)